कार्यालय जिला पंचायत, सम्भल।

पत्रांक 315 /जि.पं./नि.अनु./डी.पी.आर.सी./2019–20 दिनांक 05/09/2019

ई–निविदा सूचना

जिला पंचाय, सम्भल के भवन निर्माण का अनुभव प्राप्त पंजीकृत ठेकेदारों तथा इनके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग व अन्य सरकारी विभागों में पजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत, सम्भल द्वारा जनपद पंचायत रिसोर्स सेन्टर (डी0पी0आर0सी0) के निर्माण हेतु ई–निविदा दिनांक 30–09–2019 समय 17:00 तक उ0प्र0 ई–निविदा पोर्टल **https://etender.up.nic.in** पर आमंत्रित की जाती हैं जो दिनांक 09–09–2019 समय 12:00 बजे से पोर्टल पर सबमिट की जा सकती हैं। निविदाओं की तकनीकी दिनांक 01–10–2019 को समय 12:00 बजे से जिला पंचायत की निविदा समिति द्वारा आनलाईन खोली जायेंगी। समस्त तकनीकी बिड परीक्षण उपरान्त वित्तीय बिड स्वीकृत की जायेगी। निविदा सम्बन्धी शर्तों व सूचना की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय एवं **https://sambhal.nic.in & https://etender.up.nic.in** पोर्टल पर देखी जा सकती है।

परियोजना का विवरण	अनुमानित लागत (लाख में)	जमानत राशि (रू0 में)	निविदा शुल्क का विवरण		कार्य पूर्ण करने की अवधि
			निविदा शुल्क (रू0 में)	जी.एस.टी. (रू0 में)	
जनपद पंचायत रिसोर्स सेन्टर, ग्राम भवन विकास खण्ड बहजोई	185.80	3,71,600	18,600.00	3,350.00	अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष

निर्माण कार्य का विवरण/प्रतिबन्ध तथा शर्तें निम्नवत् होंगीः–

1– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात प्रत्येक सप्ताह की प्रगति एवं कार्य समाप्ति के उपरान्त फोटोग्राफ फोटोशीट पर एवं पैनड्राईव में देने होंगे और निर्माण कार्य का बोर्ड सुरक्षित लगा रहने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, ऐसा न करने पर भुगतान रोक दिया जायेगा।

2– ठेकेदार समय वृद्धि मांगे जाने के तभी हकदार होंगे, जब कतिपय कठिनाई है या निर्माण कार्य कम से कम 75 प्रतिशत पूर्ण कर दिया गया हो, अन्यथा की दशा में अपूर्ण आवेदन पर अर्थ दण्ड के भागीदार होंगे। बीमार होने की दशा में उच्च स्तर के चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3– कार्य आदेश प्राप्त तथा कार्य प्रारम्भ होने पर श्रम विभाग से कार्य व नियमानुसार श्रमिकों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा एवं फर्म का श्रम पंजीकरण प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। कार्य चलते अगर किसी श्रमिक के साथ अप्रिय घटना घटित होती है तो उनके चिकित्सा पर आय व्यय का भुगतान ठेकेदार को स्वयं करना होगा तथा जिला पंचायत द्वारा कोई भुगतान देय नहीं होगा। अन्यथा ठेकेदार की जमानत जब्त कर अनुबन्ध निरस्त किया सकता है।

4– आवश्यकता प्रतीत होने पर कार्यों में भुगतान से पूर्व उक्त कार्यों में प्रयुक्त विभिन्न सामग्री आर0सी0सी0, ईंट आदि की टेस्टिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

5– लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग व अन्य सरकारी विभागों में पजींकृत ठेकेदार को उस विभाग का ठेकेदारी पंजीरण प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

6– **लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग व अन्य सरकारी विभागों में पजींकृत ठेकेदार की न्यूनतम निविदा प्राप्त होने की दशा में ठेकेदार को इस कार्यालय में पंजीकरण हेतु निर्धारित शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जिला निधि में जमा कराया जायेगा तथा ठेकेदारी पंजीकरण होने के उपरान्त निविदा की शर्तों के अनुसार जमानत आदि की धनराशि जमा कराते हुए अनुबन्ध गठित किया जायेगा।**

7– ठेकेदार द्वारा कार्य अवधि में निर्माण स्थल पर निर्माण कार्य एक अनुभवी सिविल इंजीनियर के पर्यवेक्षण/देखरेख में डी0पी0आर0 एवं ड्राईंग के अनुरूप कराया जायेगा तथा नियुक्ति सिविल इंजीनियर का शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व अन्य आवश्यक अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न करने होंगे।

8– ठेकेदार को अभियन्ता/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सम्भल के निर्देश में **M.Tech. Structural Engineer** से कार्य की गुणवत्ता एवं **Design** का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9– ठेकेदार द्वारा निविदा सबमिट करते समय हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र अनुभव प्रमण पत्र (भवन निर्माण), जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र, आयकर पंजीकरण प्रमाण पत्र, ठेकेदारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, श्रम पंजीकरण प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे तथा हार्ड कॉपी कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। ऐसी फर्म जिनकी पार्टनरशिप डीड है उसके लिए समस्त हैसियत, आयकर, जी0एस0टी0 फर्म का होना आवश्यक है।

10– ठेकेदार को निविदा आमंत्रित करने से पूर्व विस्तृत प्रॉक्कलन किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है। ठेकेदार को प्रांक्कलन में वर्णित मानकों के अनुसार कार्य पूर्ण करना।

11– निविदा स्वीकृत हो जाने पर 10 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करने के उपरान्त अनुबन्ध किया जायेगा जो ''अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सम्भल'' के पदनाम से बन्धक होगी। जमानत धनराशि एफडीआर/टीडीआर अथवा नकद रूप में जमा की जायेगी। जमानत धनराशि भवन पूर्ण होने पर सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरित होने के उपरान्त एक बर्ष बाद वापिस की जायेगी। निविदा शुल्क व जीएसटी की धनराशि ड्राफ्ट के माध्यम से जिला निधि में जमा होगी।

12– फर्म/ठेकेदार का 05 प्रतिशत भुगतान भवन सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण उपरान्त देय होगा।

13– **फर्म/ठेकेदार को निविदा सबमिट करते समय अंकन 02.00 करोड़ रूपये का भवन निर्माण कार्य का एक ही अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अति आवश्यक/अनिवार्य होगा।**

14– जी0एस0टी0 ठेकेदार को पृथक से देय होगी, निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।

अभियन्ता/
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,सम्भल।

S. Devi
अध्यक्ष
जिला पंचायत, सम्भल।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मा0 जिला न्यायधीश महोदय, जनपद सम्भल (कार्यालय मुन्सिफ कोर्ट, चन्दौसी)।

2– जिलाधिकारी महोदय, सम्भल की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

3– मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सम्भल।

4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, सम्भल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संलग्न ई–निविदा सूचना को http://sambhal.nic.in पर डालने का कष्ट करें।

5– निविदा समिति, जिला पंचायत, सम्भल।

6– अभियन्ता/क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, जिला पंचायत, सम्भल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्य अपनी देखरेख में कराना सुनिश्चित करें।

6– समस्त पंजीकृत, ठेकेदार, जिला पंचायत, सम्भल एवं लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग व अन्य सरकारी विभागों में पजींकृत ठेकेदार को ऑनलाइन पोर्टल https://etender.up.nic.in एवं https://sambhal.nic.in तथा समाचार पत्र में प्रकाशित की गयी ई–निविदा सूचना के माध्यम से सूचनार्थ।

7– **विज्ञापन व्यवस्थापक, दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान, बहजोई** को इस आशय से कि उपरोक्त विज्ञप्ति अपने दैनिक समाचार पत्र में आगामी अंक में न्यूनतम स्थान एवं लघुतम अक्षरों (फान्ट 08 में) में एक बार शासकीय दरों पर प्रकाशित करा कर जिला सूचना अधिकारी, सम्भल से दरें प्रमाणित कराने के उपरान्त बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,सम्भल।